



“प्ररूप 26”  
(नियम 4क देखिए)



GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.  
DISTRICT SCORE MUZAFFARPUR

भारत STAMP DUTY  
00000

बिहार JUDICIAL  
9496 929278

COURT FEE  
10 / 7011

374152 BIHAR

INDIA \*\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*One\*\*Zero\*Zero\*\*

UDAI NARAIN SINGH  
Muzaffarpur (Bihar) India

Authorization No. 2217

Notary, Muzaffarpur (Bihar) India

19/04/2014  
निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 15 मुजफ्फरपुर जंझरी (लोकसभा) (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं दीपक कुमार \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री काल कृष्णा प्रसाद सिन्हा आयु 32 वर्ष, जो मीड़ रोड, कलमवाग रोड, कामिचरा नथान, वार्ड नं 30, फेस-रुमवा, याता-फाजी मीड़मदपुर अंचल, प्रखंड-जंझरी, जिला- मुजफ्फरपुर राज्य- बिहार (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/कस्ती हूँ-

(1) मैं दीपक कुमार (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ \*\*एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 15 मुजफ्फरपुर जंझरी (लोकसभा) बिहार राज्य, (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 2/2 के क्रम सं 445 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 805/5/5258 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) "शरय्य" है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्योरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति : "लायव नही होगा"

Authorised Signatory of The Notary Act, 1952 (Act 19 of 1952)



| क्रम सं. | नाम          | पैन  | वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है। | आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में) |
|----------|--------------|------|---|--|
| 1.       | स्वयं        | १२३४ | २०१५  | १२३४                                       |
| 2.       | पति या पत्नी | १२३४ | २०१५  | १२३४                                       |
| 3.       | आश्रित-1     | १२३४ | २०१५  | १२३४                                       |
| 4.       | आश्रित-2     | १२३४ | २०१५  | १२३४                                       |
| 5.       | आश्रित-3     | १२३४ | २०१५  | १२३४                                       |

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। "साफ़ नहीं होगा"

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। "साफ़ नहीं होगा"

|     |   |      |
|-----|---|------|
| (क) | मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे                            | १२३४ |
| (ख) | संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है | १२३४ |
| (ग) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज़ान लेने के आदेश की तारीख  | १२३४ |
| (घ) | न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) को विरचना की गई  | १२३४ |
| (ङ) | तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे   | १२३४ |
| (च) | क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं                                      | १२३४ |





(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है  
(पूर्वोक्त "लापर नही होना")

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:- "लापर नही होना"

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| (क) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख   | शून्य |
| (ख) | उन मामलों के ब्यारे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है | शून्य |
| (ग) | पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यारे   | शून्य |

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है : "लापर नही होना"

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: "लापर नही होना"

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है  
"लापर नही होना"

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| (क) | उन मामलों के ब्यारे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है | शून्य |
| (ख) | न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)   | शून्य |
| (ग) | अधिरोपित दंड   | शून्य |
| (घ) | क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यारे और वर्तमान प्रास्थिति                      | शून्य |



(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

| क्रम सं. | विवरण  | स्वयं   | पति या पत्नी | आश्रित - 1 | आश्रित - 2 | आश्रित - 3 |
|----------|--|---|--------------|------------|------------|------------|
| (i)      | हाथ में नकदी   | 61,000=00   | रुपय         | रुपय       | रुपय       | रुपय       |
| (ii)     | बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आटधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम | 3,100=00<br>12480/000012<br>571<br>58-PUB<br>इंडियन<br>आयर्सलिन<br>के.ए.ए.ए.<br>एक (रुपय) | रुपय         | रुपय       | रुपय       | रुपय       |
| (iii)    | कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम   | रुपय  | रुपय         | रुपय       | रुपय       | रुपय       |



|        |  |  |     |     |     |     |
|--------|--|--|-----|-----|-----|-----|
| (iv)   | राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम | राष्ट्रीय बचत योजना का पालिसी क्रमांक- 5275293391 बीमा डाकघर का पालिसी क्रमांक- 3/1/1/38 | रकम | रकम | रकम | रकम |
| (v)    | किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम                     |  | रकम | रकम | रकम | रकम |
| (vi)   | मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)  |  | रकम | रकम | रकम | रकम |
| (vii)  | जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)  | जेवरात का मूल्य रकम का एंटीक रकम संख्या- 6,000.00  | रकम | रकम | रकम | रकम |
| (viii) | कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य   |  | रकम | रकम | रकम | रकम |
| (ix)   | समग्र कुल मूल्य  | रु 70,700.00   | रकम | रकम | रकम | रकम |

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

| क्रम सं० | विवरण   | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|----------|---|-------|--------------|----------|----------|----------|
| (i)      | कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)           | रकम   | रकम          | रकम      | रकम      | रकम      |
|          | सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)                  | रकम   | रकम          | रकम      | रकम      | रकम      |
|          | क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)                    | रकम   | रकम          | रकम      | रकम      | रकम      |
|          | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)   | रकम   | रकम          | रकम      | रकम      | रकम      |
|          | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख    | रकम   | रकम          | रकम      | रकम      | रकम      |
|          | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)    | रकम   | रकम          | रकम      | रकम      | रकम      |
|          | विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई | रकम   | रकम          | रकम      | रकम      | रकम      |





|       |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | विनिधान  | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
| (ii)  | अनुमानित चालू बाजार मूल्य  | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)                | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)   | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)  | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख   | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)   | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
| (iii) | विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान                               | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | अनुमानित चालू बाजार मूल्य  | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)   | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)   | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)  | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
| (iv)  | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख   | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)   | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान                           | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | अनुमानित चालू बाजार मूल्य  | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)   | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)   | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)   | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)  | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |
|       | स्वार्जित संपत्ति की दशा में   | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> | <del>रुपय</del> |



|      |   |     |     |     |     |     |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | क्रय की तारीख   | रकम | रकम | रकम | रकम | रकम |
|      | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)            | रकम | रकम | रकम | रकम | रकम |
|      | विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | रकम | रकम | रकम | रकम | रकम |
|      | अनुमानित चालू बाजार मूल्य                             | रकम | रकम | रकम | रकम | रकम |
| (V)  | अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)                        | रकम | रकम | रकम | रकम | रकम |
| (VI) | पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य          | रकम | रकम | रकम | रकम | रकम |

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्योरे नीचे देता हूँ: 1/1/2024

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्योरों का पृथक विवरण दें)

— 'रकम नहीं देता'

| क्र० सं० | विवरण   | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित -1 | आश्रित -2 | आश्रित -3 |
|----------|---|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| (i)      | बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति | रकम   | रकम          | रकम       | रकम       | रकम       |
|          | पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य                               | रकम   | रकम          | रकम       | रकम       | रकम       |
|          | नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति  |       |              |           |           |           |
|          | कोई अन्य दायित्व  | रकम   | रकम          | रकम       | रकम       | रकम       |
|          | दायित्वों का कुल योग  | रकम   | रकम          | रकम       | रकम       | रकम       |
| (ii)     | सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य   | रकम   | रकम          | रकम       | रकम       | रकम       |
|          | जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य   | रकम   | रकम          | रकम       | रकम       | रकम       |
|          | विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य  | रकम   | रकम          | रकम       | रकम       | रकम       |
|          | टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य   | रकम   | रकम          | रकम       | रकम       | रकम       |
|          | सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य                               | रकम   | रकम          | रकम       | रकम       | रकम       |
|          | आय-कर शोध्य   | रकम   | रकम          | रकम       | रकम       | रकम       |
|          |   |       |              |           |           |           |





|       |  |     |     |     |     |     |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | धनकर शोध   | रुप | रुप | रुप | रुप | रुप |
|       | सेवाकर शोध   | रुप | रुप | रुप | रुप | रुप |
|       | नगरपालिका/संपत्ति कर शोध   | रुप | रुप | रुप | रुप | रुप |
|       | विक्रयकर शोध   | रुप | रुप | रुप | रुप | रुप |
|       | कोई अन्य शोध   | रुप | रुप | रुप | रुप | रुप |
| (iii) | सभी सरकारी शोधों का कुल योग  | रुप | रुप | रुप | रुप | रुप |
| (iv)  | क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें। | रुप | रुप | रुप | रुप | रुप |

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... व्यक्तिगत (पारिवारिकीकरण)

(ख) पति या पत्नी..... । साफ नही होना ।

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

अष्टम वर्ग उत्तीर्ण।  
राजकीय हाई मिडिल स्कूल, कलकत्ता  
(दिल्ली)

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)





भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

|                   |   |   |              |               |          |          |
|-------------------|---|---|--------------|---------------|----------|----------|
| 1                 | अभ्यर्थी का नाम   | श्री / श्रीमती / कु० दीपक कुमार   |              |               |          |          |
| 2                 | डाक का पता  | मैरवा - कालवायु रोड, शानीचडा<br>मैरवा, पंचसमता प्रखण्ड, जिला<br>मैरवा, दरभंगा जिला, बिहार राज्य |              |               |          |          |
| 3                 | निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य   | 15 कुलसभासुत सुदरहीप (मि)ककप<br>बिहार राज्य.  |              |               |          |          |
| 4                 | उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)  | स्वतंत्र  |              |               |          |          |
| 5                 | (i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।   | 'प्रश्न नहीं है।'<br>"स्वतंत्र"   |              |               |          |          |
|                   | (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिला)  | "स्वतंत्र"  |              |               |          |          |
| 6                 | ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए) | "स्वतंत्र"  |              |               |          |          |
| 7                 | ..... का स्थायी लेखा सं०  | वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है   |              | कुल दर्शित आय |          |          |
|                   | (क) अभ्यर्थी  | स्वतंत्र  | स्वतंत्र     | स्वतंत्र      |          |          |
|                   | (ख) पति या पत्नी  | स्वतंत्र  | स्वतंत्र     | स्वतंत्र      |          |          |
|                   | (ग) आश्रित  | स्वतंत्र  | स्वतंत्र     | स्वतंत्र      |          |          |
| 8                 | आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)   |   |              |               |          |          |
|                   | विवरण   | स्वयं   | पति या पत्नी | आश्रित-1      | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|                   | क जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)   | ₹ 700-00  | स्वतंत्र     | स्वतंत्र      | स्वतंत्र | स्वतंत्र |
| ख स्थावर आस्तियां | स्वतंत्र  | स्वतंत्र  | स्वतंत्र     | स्वतंत्र      | स्वतंत्र |          |







सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8-9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 19/04/2014 को सत्यापित किया गया।

I Know and Identify the deponent

who has Signed/L in my

presence

Ajmer Kumar Gahar

Deepak Kumar  
अभिसाक्षी

Deepak Kumar EN. No. 1844/04 19/04/14  
Advocate

टिप्पण - 1. शपथपत्र समाकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण - 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 4. शपथपत्र टिकत या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं.....

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....